107

न्यायालय श्री माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

नि. - 775 - IV/16

दिनांक 3.3.16 को श्री कार्ड.पी. द्विवेदी का०/अ० द्वारा प्रस्तुत/
3.3.16
SO

विष्णुदत्त

ब्रह्मदत्त

रामदत्त तनय रामप्रसाद मिश्र निवासी ग्राम मुरैठा कोठार तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र.

.........आवेदकगण

बनाम

सत्यदेव तनय स्वर्गीय कुबेर राम मिश्र साकीन मुरैठा तहसील हनुमना जिला रीवा

.........अनावेदक

निगरानी विरूद्ध अंतरिम आदेश अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज तहसील हनुमना रीवा म.प्र. राजस्व प्रकरण क्र. 130/अ.6/2014–15 अंतरिम आदेश दिनांक 29.10.2015 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता।

मान्यवर, निगरानी के संक्षिप्त विवरण निम्न है:–

1. यहकि, अनावेदक के द्वारा प्रकरण क्र. 132/अ.6 आदेश दिनांक 24.08.2015 को जो प्रकरण पर्व में अंतिम आदेश के रूप में तहसीलदार न्यायालयक से निराकरण करदीयागया था उसी प्रकरण को अनावेदक ने तहसील न्यायालय में धारा 32 का आवेदन पत्र दिया जिस आवेदन पत्र को तहसीलदार पूर्व प्रकरण

ब्रह्मदत्त मिश्र

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-775-दो/16 **जिला** - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आई.पी. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के प्रकरण क्रमांक 130/अ-6/14-15 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	